

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्मल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली

- प्रार्थी

बनाम

1. साहबसिंह }
2. भरत }
प्यारू }
गूजर निवासी बरबटपुरा }
3. प्रधान }

पिसरान
जाति

- मासलपुर जिला करौली
4. धापा पत्नि प्यारू (फौत)

तहसील

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक-30.07.2019


प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीयान के विरुद्ध यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 1068 रकबा 0-03 बीघा ग्राम बरबटपुरा तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 1068 रकबा 0-03 बीघा ग्राम डुकावली सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2027-2030 तक के खाता सं 29 किस्म गै.मु. नला से श्री प्यारू पुत्र श्री दुल्ली निवासी बरबटपुरा के नाम जरिये आवंटन/नियमन/डिक्री से दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 तक में जरिये विरासत साहबसिंह, भरत, प्रधान पिसरान प्यारू, धापा पत्नि प्यारू जाति गूजर निवासी बरबटपुरा तहसील मासलपुर जिला करौली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नं 1068 रकबा 0-03 बीघा ग्राम डुकावली को गै.मु. नला दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, नामांतरकरण संख्या 31 दिनांक 21.05.1970, नामांतरकरण संख्या 92 दिनांक 18.10.1977, नामांतरकरण संख्या 172 दिनांक 12.05.1986, हाल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीयान की गई।

अप्रार्थीयान को कार्यालय द्वारा जारी नोटिस की तामील होने के बावजूद अप्रार्थीयान के असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं होने एवं ना ही जबाव पेश करने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।



जिला कलक्टर
करौली

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नंबर 1068 रकबा 0-03 बीघा ग्राम डुकावली सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2027-2030 तक के खाता सं 29 किस्म गै.मु. नला से श्री प्यारू पुत्र श्री दुल्ली निवासी बरबटपुरा के नाम जरिये आवंटन/नियमन/डिक्री से दर्ज कर दिया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 1068 रकबा 0-03 बीघा गै0 मु0 नला दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामांतरण संख्या 31 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 1068 किस्म बारानी सोयम रकबा 0-03 प्यारू पुत्र दुल्ली कौम गुर्जर निवासी बरबटपुरा के नाम दिनांक 21.05.1970 को स्वीकार किया है। नकल जमाबन्दी सं0 2073 लगायत 2076 के अनुसार खसरा नंबर 1068 किस्म बारानी-3 रकबा 0-03 साहबसिंह, भरत, प्रधान पिसरान प्यारू, धापा पत्नि प्यारू जाति गूजर निवासी बरबटपुरा (ना0 नं0 116) अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै0 मु0 नला दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि आवंटित की गई है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय के अनुसार हम इस प्रकरण में वर्णित भूमि आराजी खसरा नंबर 1068 रकबा 0-03 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 नला दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम बरबटपुरा की आराजी खसरा नंबर 1068 रकबा 0-03 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै0मु0 नला दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।


(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर
करौली